परिषद के मुख्यालय 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ में दिनांक 29 अगस्त, 1974 को 10-30 बजे पूर्वान्ह में हुयी उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की वर्ष 1974 की पांचवीं बैठक का कार्यवृत्त ।

निम्नलिखित उपस्थित थे :—

(1)	श्री जगदीश शरण अग्रवाल		अध्यक्ष
(2)	श्री वी0एस0कटारा	आवास आयुक्त	सदस्य
(3)	श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव		सदस्य
(4)	श्री राज बहादुर द्विवेदी		सदस्य
(5)	श्री कल्यान दास जैन		सदस्य
(6)	श्री अहमद लुत खाँ		सदस्य
(7)	श्री आर0के0भार्गव	विशेष वित्त सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
(8)	श्री अतहर हुसैन	आयुक्त एवं सचिव, स्वायत्त शासन एवं निवास विभाग ।	सदस्य
(9)	श्री जे0पी0दुबे	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य

2— बैठक की कार्यवाही पर विचार-विमर्श के पश्चात् निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

पद संख्या	विषय	संकल्प संख्या	निर्णय
1	2	3	4
(1)	परिषद की दिनांक 1 जुलाई, 1974 को हुई वर्ष 1974 की चतुर्थ बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि ।	V/(1)/74	परिषद ने दिनांक 1 जुलाई, 1974 को हुई चतुर्थ बैठक के कार्यवृत्त का अवलोकन किया तथा इसकी पुष्टि की ।
(2)	परिषद की वर्ष 1974 की चतुर्थ बैठक दिनांक 1 जुलाई, 1974 के कार्यवृत्त की अनुपालन रिपोर्ट ।	V/(2)/74	परिषद ने 1 जुलाई, 1974 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की अनुपालन रिपोर्ट का अवलोकन किया ।
(3)	मेरठ योजना संख्या 3 की संशोधित स्कीम के सम्बन्ध में हुडको द्वारा दिये जाने वाले ऋण की स्वीकृति तथा गारन्टी में प्रभाव न पड़ने का प्रमाण पत्र तथा संशोधित ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिये एक सदस्य का नामांकन ।	V/(3)/74	सर्वसम्मति से परिषद ने मेरठ की योजना संख्या 3 में जो हुडको से ऋण सहायता के लिये भेजी गई, किये गये संशोधन स्वीकृत किये तथा संशोधित स्कीम के अनुसार काउन्टर गारन्टी शासन को देने की सहमति प्रदान की । परिषद द्वारा इस सम्बन्ध में किये जाने वाले समझौते पर परिषद की ओर से हस्ताक्षर करने के लिये परिषद ने अध्यक्ष को नामांकित किया ।
(4)	परिषद के कर्मचारियों द्वारा जमा किये गये उनके अंशदेय निर्वाह निधि (सी0पी0एफ0) अभिदान पर परिषद द्वारा दिये जाने वाले ब्याज की दर पर निर्णय लिया जाना ।	V/(4)/74	सर्वसम्मति से परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि कर्मचारियों द्वारा जमा किया गया अंशदेय निर्वाह निधि के अभिदान पर उन्हीं दरों से ब्याज लगाया जाय जो सम्बन्धित अवधि में राज्य सरकार द्वारा लागू की गयी हों ।
(5)	मण्डलीय लेखाकारों के वेतनक्रम के पुनरीक्षण पर विचार ।	V/(5)/74	मण्डलीय लेखाकारों के वेतनक्रम के संबंध में विचार-विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से निम्नलिखित वेतनमान-निर्धारित करने का निर्णय लिया गया :—

कृ0पृ0उ0

1	2	3	4
			1) वे पद जो शासन के विभागों से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त ऐसे व्यक्तियों द्वारा भरे जाये जो महालेखाकार द्वारा मण्डलीय लेखाकार की सूची में क्रम बद्ध हों या जो पात्रता के आधार पर परिषद् के लेखाकारों द्वारा भरे जाय । रु0 400-15-475-द0रो0-20-575-द0रो0-25-750 । 2) वे पद जो उपरोक्त श्रेणियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों द्वारा भरे जायं । रु0 350-15-500-द0रो0-20-600-द0रो0-25-700 ।
(6)	परिषद् द्वारा आवंटित भूखण्ड को परिषद् के हो पक्ष में बन्धक रखकर ऋण प्राप्त करना ।	V/(6)/74	सर्वसम्मति से परिषद् ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया कि परिषद् द्वारा आवंटित भूखण्डों को परिषद् के पक्ष में बन्धक रखकर के यदि भूखण्ड के प्रदिष्टि परिषद् से ऋण लेकर आवास निर्मित करना चाहे तो बन्धक रखने की अनुमति प्रदान कर दी जाये ।
(7)	लीज पर दी जाने वाली भूमि/किराये के पर पुनः निस्तारण ।	V/(7)/74.	इस विषय पर विचार स्थगित किया गया ।
(8)	परिषद् की आवासिक योजनाओं के अन्तर्गत अर्जित की जाने वाली भूमि के स्वामियों को भूखण्डों के आवंटन में आरक्षण ।	V(8)/74	परिषद् ने विचार विमर्श के पश्चात् यह निर्णय लिया कि परिषद् के निम्नलिखित सदस्य आगरा की पटेवासन योजना से संबंधित ऐसे व्यक्तियों के मामलों में जाँच करके जिन पर लगाये गये प्रतिबन्ध से असर होगा अपनी संस्तुति परिषद् के समक्ष रखें जिस के पश्चात् परिषद् द्वारा निर्णय लिया जायेगा । 1) श्री राज बहादुर द्विवेदी 2) श्री कल्यान दास जैन 3) श्री जे0पी0दुबे, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक ।
(9)	अलीगढ़ में आगरा तथा मथुरा रोड के बीच गृहस्थान योजना संख्या 9 ।	V/(9)/74	परिषद् ने सभी परिस्थितियों पर विचार विमर्श करके यह निर्णय लिया कि निम्नलिखित सदस्यों की समिति इस योजना क्षेत्र का निरीक्षण करके इसको आगे चलाने अथवा न चलाने के संबंध में अपनी संस्तुति परिषद् को प्रस्तुत करें :- 1) श्री राज बहादुर द्विवेदी, एम0एल0सी0 2) श्री कल्यान दास जैन 3) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक ।
(10)	लाजपतनगर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, मुरादाबाद में नैशनल हाइवे व रेलवे लाइन के बीच की भूमि के सम्बन्ध में विचार ।	V/(10)/74	परिषद् ने सभी परिस्थितियों पर भली प्रकार विचार करके सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि मुरादाबाद की लाजपत-नगर योजना के नैशनल-हाइवे व रेलवे लाइन के बीच स्थित भू-भाग को अर्जन से मुक्त किया जाये ।

कृ0पृ0उ0

(6)

1	2	3	4
(11)	पठानपुरा भूमि विकास एवं गृह-स्थान योजना संख्या 4, सहारनपुर में समाविष्ट प्लाट संख्या 110 को अर्जन से मुक्त करने के संबंध में मेजर पी0एस0वर्मा की प्रार्थना (पत्र दिनांक 23-1-1974) व नियोजन समिति द्वारा लिये गये निर्णय पर विचार ।	V/(11)/74	परिषद ने सभी परिस्थितियों पर भली प्रकार विचार करके सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि नियोजन समिति के निर्णय की पुष्टि इस संशोधन के साथ की जाये कि सहारनपुर देहली रोड के मध्य से लगभग 400 गज की सीमा में पड़ने वाली भूमि को जिसे संलग्न नक्शे पर दर्शाया गया है अर्जित किया जाये और केवल इसी क्षेत्र में योजना को कार्यान्वित किया जाये । योजना में समाविष्ट शेष भूमि को अर्जन से मुक्त किया जाये । मेजर वर्मा की प्रार्थना पर विचार करके परिषद ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि देहली रोड पर ब्लाक आफिस से मिली हुई उनकी खुली भूमि को अर्जन से मुक्त करने का कोई औचित्य नहीं है । अतएव उसको अर्जित किया जाये । मेजर वर्मा परिषद की नीति के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर विकसित प्लाट अथवा भवन ले सकते हैं । अध्यक्ष महोदय ने यह प्रस्ताव किया कि चूंकि अमर शहीद सरदार भगत सिंह के परिवार के व्यक्ति इसी क्षेत्र में रह रहे हैं और उनके उपयोग में आ रही भूमि/भवन को शासन व परिषद के निर्णय के अनुसार अर्जन से मुक्त कर दिया गया है अतः सहारनपुर योजना सं0 4 व योजना सं0 3 का नाम शहीद भगत सिंह नगर रखना उपयुक्त होगा । परिषद ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया तथा इसे सर्वसम्मति से पारित किया ।
(12)	पठानपुरा भूमि विकास एवं गृह-स्थान योजना संख्या 3, सहारनपुर के विरुद्ध प्राप्त आपत्तियों के संबंध में नियोजन एवं विकास समिति की 40वीं बैठक के कार्यवृत्त पर विचार ।	V/(12)/74	परिषद ने सभी परिस्थितियों पर भली प्रकार विचार करके सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि नियोजन समिति के निर्णय की पुष्टि इस संशोधन के साथ की जाये कि सहारनपुर देहली रोड के मध्य से लगभग 400-500 गज की सीमा में पड़ने वाली भूमि को अर्जित किया जाये जिसे संलग्न नक्शे पर दर्शाया गया है और केवल इसी क्षेत्र में योजना को कार्यान्वित किया जाये । योजना में समाविष्ट शेष भूमि को अर्जन से मुक्त कर दिया जाय ।
(13)	मेरठ की मोहनपुरी आवास योजना संख्या 4 के अन्तर्गत भूखण्ड संख्या 150 को श्री रामेश्वर दयालु भटनागर के स्थान पर उनके पुत्र के नाम हस्तान्तरण किया जाना ।	V/(13)/74	परिषद ने सर्वसम्मति से मेरठ की मोहनपुरी योजना के अन्तर्गत भूखण्ड संख्या 150 जो श्री रामेश्वर दयाल भटनागर को आवंटित किया गया था उनके पुत्र के नाम हस्तानान्तरित करने की अनुमति प्रदान की ।
(14)	मेरठ की गढ़मुक्तेश्वर रोड योजना सं0 3 में जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के आवासिक भवन बनाने के लिये भूखण्डों का आवंटन ।	V/(14)/74	परिषद ने सर्वसम्मति से जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के आवासिक भवन बनाने के लिये मेरठ की योजना सं0 3 में 12 एकड़ भूमि इस प्रतिबन्ध के

(7)

1	2	3	4
			अन्तर्गत आवंटन करना स्वीकृत किया कि जीवन बीमा निगम को विकसित भूमि दी जायेगी तथा भूमि का मूल्य विकास कार्यों पर होने वाले व्यय को शामिल करते हुये किया जायेगा । जीवन बीमा निगम इस क्षेत्र का अभिन्यास खाका इस प्रकार बनायेगा कि परिषद् की योजना का वह एक अंग हो ।
(15)	परिषद् की रायबरेली भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0 1 (क्षेत्रफल 65 एकड़) के विरुद्ध प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई के संबंध में नियोजन समिति (केन्द्र क्षेत्र बुन्देलखण्ड क्षेत्र तथा पर्वतीय क्षेत्र) की बैठक के कार्यवृत्त पर निर्णय ।	V/(15)/74	परिषद ने नियोजन समिति के निर्णय पर विचार करके सर्वसम्मति से उन निर्णयों की पुष्टि की तथा यह निर्णय लिया कि इस योजना के सम्बन्ध में आगे की कार्यवाही की जाये ।
(16)	विस्थापितों को देय सुविधा के संबंध में पुनर्विचार ।	V/(16)/74	परिषद् ने इस विषय पर विचार करने के लिये एकउपसमिति का-गठन किया जिसके सदस्य निम्न होंगे :- 1) अध्यक्ष 2) आवास आयुक्त 3) शासन के निवास विभाग के सचिव । 4) शासन के वित्त विभाग के विशेष सचिव । 5) श्री महाबीर प्रसाद श्रीवास्तव ।
(17)	मेरठ गढ़मुक्तेश्वर मार्ग पर मेरठ मेडिकल कॉलेज के सामने स्थित भूमि पर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0 6 के अन्तर्गत तक्षशिला सहकारी गृह निर्माण समिति के प्रार्थना पत्र पर विचार ।	V/(17)/74	परिषद् ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि मेरठ गढ़मुक्तेश्वर मार्ग पर योजना सं0 6 के अन्तर्गत आने वाले भूखण्ड खसरा सं0 2201 तथा 2203 के वह भाग जो योजना में सम्मिलित है तक्षशिला सहकारी गृह निर्माण समिति के पक्ष में आवंटित कर दिये जायें क्योंकि वे परिषद् की शेष योजना से बिल्कुल अलग पड़ जाते है और केवल इतने थोड़े क्षेत्र में विकास करना अलाभकर होगा । सोसाइटी से इस भूमि का मूल्य अनुपातिक वाह्य विकास को शामिल करके लिया जाये ।
(18)	मेरठ योजना सं0 2 (बागपत रोड) में दुकानों हेतु बहुखण्डीय भवन निर्माण हेतु टिप्पणी ।	V/(18)/74	परिषद् ने सर्वसम्मति से मेरठ योजना सं0 2 में 20 दुकानों का निर्माण व उस पर व्यवसायिक प्रयोग हेतु भवनों का निर्माण कार्य को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की तथा केवल 2 मंजिले भवन के निर्माण के प्रस्ताव को ही उचित माना ।
(19)	आगरा की घटवासन योजना में इण्डियन सिरेमिक हाउस के पक्ष में उन के कर्मचारियों हेतु भवन व्यवस्था के लिये भूमि का आवंटन ।	V/(19)/74	परिषद् ने सर्वसम्मति से आगरा की घटवासन योजना के अन्तर्गत इण्डियन सिरेमिक हाउस को अभिन्यास खाके के अनुसार लगभग 6646 वर्ग गज विकसित भूमि 50/- प्रति वर्ग मीटर (रु0 42/- प्रति वर्ग गज) के रेट से आवंटित किया जाना स्वीकृत किया । इण्डियन सिरेमिक हाउस से भूमि का पूरा मूल्य नकद पद्धति के आधार पर प्राप्त किया जाये ।

कृ0पृ0उ0

(8)

1	2	3	4
(20)	लालकुआँ के पास राजा कटियारी की कोठी में उपलब्ध भूमि ब्रिटिश इण्डिया एसोसियेशन की भूमि तथा गाजी हैदर कैनाल के किनारे की भूमि पर योजना चलाने के संबंध में प्रस्ताव ।	V/(20)/74	परिषद ने टिप्पणी का अवलोकन किया और सहमति प्रकट की कि लखनऊ में नई योजनाओं को चलाने की आवश्यकता नहीं डेवलपमेंट अथारिटी की स्थापना हो जाने के कारण ।
(21)	सिविल लाइन्स भूमि विकास योजना संख्या 1, बदायूं ।	V/(21)/74	परिषद ने इस प्रस्ताव पर विचार स्थगित किया ।
(22)	भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या 1, उन्नाव पर धारा 31 के लिये विचार ।	V/(22)/74	परिषद ने भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना-1, उन्नाव को परिषद अधिनियम की धारा 31(2) के अन्तर्गत शासन की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भेजे जाने के लिये अनुमति प्रदान की ।
(23)	परिषद द्वारा सहकारी आवास समितियों के लिये आरक्षित 25% तक भूखण्ड पर सहकारी आवास समितियों के लिये भवन निर्माणार्थ आवास संघ से ऋण लेने का प्रतिबन्ध तथा भवन के प्रविष्टियों द्वारा सहकारी समिति गठित करके आवास संघ से सम्बन्ध कराकर ऋण प्राप्त करना ।	V/(23)/74	इस विषय पर परिषद ने विचार स्थगित किया ।
(24)	परिषद की 'देहरादून रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, रुड़की' (क्षेत्रफल 46 एकड़) के विरुद्ध प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई के संबंध में नियोजन समिति (पश्चिमी क्षेत्र) की बैठक के कार्यवृत्त पर निर्णय ।	V/(24)/74	परिषद ने नियोजन समिति के निर्णयों पर भली प्रकार विचार करके सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि नियोजन समिति के निर्णय की पुष्टि की जाये तथा इस योजना के सम्बन्ध में आगे की कार्यवाही की जाये ।
(25)	परिषद के कार्यकलापों का प्रगति विवरण ।	V/(25)/74	परिषद ने योजनाओं के संबंध में प्रस्तावित प्रगति विवरण पर विचार विमर्श करने के पश्चात् यह मत व्यक्त किया कि प्रत्येक योजना के संबंध में भूमि अध्याप्त हो जाने के बाद विकास कार्यों हेतु साधारणतः तीन वर्ष का अधिकतम समय निश्चित किया जाना चाहिये और भवन निर्माण हेतु 2 वर्ष का समय । इस प्रकार 2 से 3 वर्ष के समय के भीतर प्रत्येक योजना पूर्णतः कार्यान्वित करने का लक्ष्य होना चाहिये व प्रत्येक योजना की समाप्ति के निर्धारित तिथि से छः माह पूर्व परिषद के समक्ष उस में हुई प्रगति का विवरण प्रस्तुत किया जाये और यदि लक्ष्य की प्राप्ति में विलम्ब होने की आशा हो तो उस के कारण व कठिनाइयाँ भी बताई जायें ताकि परिषद ऐसी कठिनाइयों को यथा-सम्भव दूर करने के लिये प्रभावशाली कदम उठाने पर विचार कर सकें जिस से लक्ष्य की प्राप्ति करने में सहायता मिलें चूंकि विकास कार्यों में अधिक समय लगता है अतः विकास कार्य भूमि का मोआवजा

कृ०पृ०उ०

1	2	3	4
			बट जाने के पश्चात् तुरन्त आरम्भ कर देना चाहिये तथा भवन निर्माण कार्य कुछ समय बाद आरम्भ करने पर यह प्रयत्न होना चाहिये कि जब भवन निर्मित हो जायें तो समस्त सेवायें उपलब्ध हों । अध्यक्ष महोदय ने विशेष वित्त सचिव से यह अनुरोध किया कि वेह परिषद के ऐसे सभी मामलों को व्यक्तिगत रूप से देखें जिन्हें परिषद ने शासन को भेजा है व जिन के विलम्ब से आदेश प्राप्त होने के कारण परिषद के कार्यों की प्रगति में बाधा पड़ती है । उन्होंने सचिव, निवास विभाग से भी इसी प्रकार का अनुरोध किया कि वह भी शासन को भेजे गये मामलों में शासनादेश शीघ्रातिशीघ्र जारी करायें, जिन के कारण परिषद के कार्यों की प्रगति में अवरोध हो रहा है । उदाहरणतः अध्यक्ष महोदय ने हडकों से लिये जा रहे ऋण के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली गारन्टी का सन्दर्भ किया और लैण्ड एक्वीजीशन अफसर के लिये समुचित स्टाफ की स्वीकृति देने का ।